न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
(जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 64/2021
GCMS No. : 2021/129

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादी :–**

1. राजस्थान सरकार जरिए भूमि अधिकारी तहसीलदार, जैतारण।

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल जाति–माली, निवासी–जैतारण
2. किशोर कुमार पुत्र मोहनलाल जाति–माली, निवासी–जैतारण
3. बहादुरसिंह पुत्र बालाराम जाति जाट, निवासी–काणेचा, तह. –जैतारण, जिला–ब्यावर

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू –: 08/06/2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 29/07/2024**

वादी राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिकारी तहसीलदार, जैतारण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 774/11 रकबा 2–06 बीघा अर्थात् 0.3723 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 774/14 रकबा 1–12 बीघा अर्थात् 0.2589 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मौजा निमाज, पटवार मण्डल–निमाज में स्थित है। उक्त आराजी का वादी लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित जमीन को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खुर्द–बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानुन के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादी को वादपत्र में वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा [illegible] के लिए बिनाय मुख्यासमत दिनांक 24.05.2021 को पैदा हुआ [illegible] वादी को प्रतिवादी द्वारा वादपत्र में वर्णित जमीन से [illegible] कृषि वाणिज्यिक (आवासीय) प्रयोजनार्थ का कार्य करने की सूचना जरिए रिपोर्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

इस पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया जो शा.मि. है।

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 774/11 रकबा 2.06 बीघा 0.3723 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 774/14 रकबा 112 बीघा 0.2589 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल मौजा निमाज में स्थित है। उक्त आराजी के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर हिस्सा माफिक कब्जा काश्त है और बिना किसी रोक-टोक के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। मौके पर प्रतिवादीगण ने अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाडा करके अलग-अलग रेत की माठे कायम करके मुडा गड्डी कर दी और अलग अलग बंटी हुई हैं इसलिये वादी को किसी तरह से प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन में बाधा पहुँचाने एवं परेशान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें। प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में मौके पर काबिज हैं और काश्त करते है। प्रतिवादीगण ने धारा 2 का उल्लंघन नहीं किया न ही कोई कच्चा या पक्का निर्माण किया हैं केवल मात्र उक्त आराजी कि कृषि भूमि कृषि उपयोग में ले रहे हैं। कृषि भूमि में प्रतिवादीगण ने किसी तरह से मौके पर किस्म परिवर्तन करके अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी काटकर जमीन को खुर्द बुर्द नहीं कर रहे हैं। न ही खुर्द बुर्द की गई हैं। मौके पर अलग-अलग बंट किये हुये है एवं काश्त के उपयोग एवं उपभोग में ले रहे हैं। मौके पर उक्त आराजी कि कृषि भूमि में किसी तरह का प्रतिवादीगण ने कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हैं न ही खुर्द बुर्द की हैं प्रतिववादीगण ने काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टेनेन्सी की शर्तो को भंग नहीं किया हैं न ही मौके पर आवासीय कॉलोनी काटी गई हैं तो भूमि को संपरिवर्तन करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं प्रतिवादीगण उक्त आराजी कि कृषि भूमि में काश्त करते है अभी भी मौके पर हिस्से माफिक कातिरे की फसल खडी हैं इसलिये वादी का यह कहना कतई गलत हैं कि राजस्थान सरकार को राजस्व नुकसान हुआ हैं। वादी ने आधारहीन एवं बनावटी कपोल कल्पित तथ्यों का उल्लेख करके बिना मौके कि विधिवत जाँच किये ही गैरकानूनी रूप से प्रतिवादीगण को तंग एवं परेशान करने एवं प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन को हड़पने कि नियत से बनावटी तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र पेश किया जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं हैं काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें। प्रतिवादी ने टीनेन्सी की शर्तो का भंग नहीं किया हैं न ही राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य किया हैं प्रतिवादीगण उक्त आराजी कि कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी कि कृषि भूमि के मालिक हैं जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है एवं मौके पर कातिरे की फसल प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में फसल बोई हुई है एवं अलग अलग हिस्से माफिक बंट किये हुये हैं इसलिये प्रतिवादीगण ने धारा 2 का उल्लंघन नहीं किया हैं विधि का सुस्थापित नियम हैं कि किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण(ब्यावर)

कब्जे काश्त कि कृषि भूमि में बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं न ही गैर कानूनी रूप से किसी खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जा सकता हैं। मौके पर प्रतिवादीगण के अलग अलग हिस्से माफिक कृषि भूमि में कातिसरे कि फसल खड़ी हैं एवं खडी कातिसरे की फसल की गिरदावरी एवं मौके की रंगीन फोटुओ से प्रमाणित हैं इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। न ही पाबन्द किया जा सकता हैं वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिना किसी आधार के एवं गैरकानूनी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें बेदखल करने एवं पाबन्द करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं इसलिये भी वादी का वादपत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं हैं काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमायें। वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनाक 24.05.2021 को कोई बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होता हैं न ही बिनाय दावा प्राप्त करने के अधिकारी हैं हल्का पटवारी ने वादी को किस दिनांक को क्या सूचना दी जो सूचना हल्का पटवारी द्वारा दी गई वह सूचना रेकर्ड एवं मौके कि स्थिति के विपरित गलत सूचना दी गई जो प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि हडपने एवं प्रतिवादीगण को आर्थिक नुकसान पहुँचाने एवं कानूनी जायज हक हकूको से वंचित करने एवं हितों पर कुठाराघात करने कि नियत से मन गढ़न्त कार्यवाही करने कि नियत से गलत बिनाय दावा कि दिनांक का उल्लेख किया गया हैं जो वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिनाय दावा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं इसलिये भी वादी का वादपत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें।

पत्रावली में बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रतिवादी राजस्व वाद पत्र बाबत् अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. तहसीलदार, जैतारण ने हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 774/11 रकबा 2–06 बीघा अर्थात् 0.3723 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 774/14 रकबा 1–12 बीघा अर्थात् 0.2589 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मौजा निमाज पटवार मण्डल निमाज में प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खुर्द–बुर्द कर रहे है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाए भूमि की किस्म को परिवर्तित किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादपत्र के साथ प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 24/05/2021 के अंकन अनुसार प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के 3–18 बीघा भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाए कृषि भूमि को अकृषि (आवासीय कॉलोनी हेतु प्लोटिंग) कार्यो हेतु उपयोग में ली जा रही है। प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न मौका फर्द अनुसार उपरोक्त दोनों खसरों को मिलाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जैतारण

आवासीय प्रयोजनार्थ अन्नपूर्णा नगर नाम से कॉलोनी विकसित किए जाने का उल्लेख किया है।

2. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में वादी के कथनों का खण्डन करते हुए यह कहा है कि प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से में मौके पर काबिज है और काश्त करते है। प्रतिवादीगण ने इस भूमि पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं किया हैं उक्त आराजी कि कृषि भूमि को केवल मात्र कृषि उपयोग में ले रहे हैं। कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी तरह से मौके पर किस्म परिवर्तन करके अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी काटकर जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं कर रहे हैं। मौके पर अलग-अलग बंट किये हुए है एवं काश्त के लिए उपयोग-उपभोग में ले रहे हैं। मौके पर उक्त आराजी की कृषि भूमि में किसी तरह का प्रतिवादीगण ने कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं किया है।

3. न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.07.2022 की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक, निमाज द्वारा दिनांक 23.07.2022 को प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 774/11, 774/14 में बंशीलाल पुत्र भंवरलाल कौम माली हिस्सा 1/4 सा. जैतारण, किशोर कुमार पुत्र मोहनलाल कौम माली हिस्सा 1/2 सा. जैतारण एवं बादरसिंह पुत्र बालाराम कौम जाट हिस्सा 1/4 सा. काणेचा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व में दोनों खसरों को मिलाकर खातेदारों द्वारा आवासीय कॉलोनी (अन्नपूर्णा नगर) विकसित की जा रही थी के क्रम में जांच मौका फर्द अनुसार वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्लोटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं की जा रही है। मौके पर चार दीवारी का निर्माण एवं तारबन्दी कर लोहे का गेट लगा हुआ है। जिस पर अन्नपूर्णा कृषि फार्म हाऊस लिखा हुआ है। खसरा नम्बर 774/11,774/14 में वर्तमान में ग्वार की फसल बोई गई है। मौके के फोटोग्राफ भी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर भिजवाए हैं।

हस्तगत वादपत्र में भू.अभिलेख निरीक्षक निमाज द्वारा प्रस्तुत मौका पोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरान में किसी भी प्रकार का प्लोटिंग कर ावासीय कॉलोनी विकसित नहीं करने का उल्लेख किया है तथा उक्त वादग्रस्त सरान की भूमि को कृषि कार्य के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अतः उक्त दग्रस्त आराजी को वाणिज्यिक (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जाने के रण इस वाद में बेदखली की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण ड्रोप किया ाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि ादी का वाद अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदने सहायक कलक्टर, जैतारण

निर्णय आज दिनांक 29/07/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदने सहायक कलक्टर, जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिए भूमि अधिकारी तहसीलदार, जैतारण।

बनाम

प्रतिवादी :-

1. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल
   जाति-माली, निवासी-जैतारण
2. किशोर कुमार पुत्र मोहनलाल
   जाति-माली, निवासी-जैतारण
3. बहादुरसिंह पुत्र बालाराम
   जाति जाट, निवासी-काणेचा,
   तह.-जैतारण, जिला-ब्यावर

मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 64/2021

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बतिल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **29/07/2024** को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदने सहायक कलक्टर, जैतारण

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	4.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः-	0.00		मिजानः-	6.00	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन ने चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested